स्मार

पत्र सं0–XL/XL (वि0) 73/2021/ 3325
बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना।
(विधि–व्यवस्था प्रभाग)

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी।

पटना, दिनांक– 17/09/2021।

प्रसंग– पुलिस मुख्यालय का पत्र सं0–1960, दिनांक–17.06.2021 तथा श्री नीतीश मिश्रा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा का पत्रांक–161/21, दिनांक–07.06.21

विषय– लखनौर पी0एस0/झंझारपुर आर0एस0 (ओ0पी0) कांड सं0–85/ 21 के संबंध में।

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित थाना कांड में श्री पुरूषोतम कुमार, एस0एच0ओ0, प्रभारी, झंझारपुर आर0एस0 (ओ0पी0) पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर अमानवीय ढंग से लगातार पिटाई करते हुए अधमरा बनाकर हाजत में बंद रखने का आरोप लगाते हुए, इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–1193/वि0को0, दिनांक–28.05.2021 द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में मामले की निष्पक्ष जॉचकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया था परन्तु, कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अभीतक अप्राप्त है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

इसी क्रम में श्री नीतीश मिश्रा, माननीय स0बि0वि0स0, पटना/पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पत्रांक–296/2021, दिनांक–23.08.2021 द्वारा मामले में अभीतक संज्ञान नहीं लिये जाने को अत्यन्त ही खेदजनक बताया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

पुनः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में मामले की निष्पक्ष जाँचकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा कृत कार्रवाई से पुलिस मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

17/9/21

पुलिस उप–महानिरीक्षक (मानवाधिकार),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– श्री नीतीश मिश्रा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, पटना, 112 कौटिल्य नगर, पटना–800014 का पत्रांक–296/21, दिनांक–23.08.21 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/21

पुलिस उप–महानिरीक्षक (मानवाधिकार),
बिहार, पटना।

shyam 2021

नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 161/2021
Dt-7-6-2021

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

विषयः—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motto Write Petition (Civil) No. 01/2020 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2021 एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत ज्ञापांक 1193/वि0को0 दिनांक 28.05.2021 में आदेशित प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभियुक्तों के गिरफ्तारी एवं हाजत में जानलेवा पिटाई के विरूद्ध जाँच एवं कार्रवाई करने के सम्बंध में।

प्रसंग— लखनौर पी.एस./झंझारपुर आर.एस. (ओ.पी.) कांड संख्या 85/21 दिनांक 1.5.2021 U/S 147/148/149/141/323/307/353/379/504/506 I.P.C एवं 26(1)/31(1) (A) SC/ST Act.

महाशय,

मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर के लखनौर थानांतर्गत झंझारपुर आर. एस. (ओ.पी.) के पुलिस अधिकारी के द्वारा विषयांकित आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए प्रासंगिक प्राथमिकी (प्रतिलिपि संलग्न) में आरोपित व्यक्तियों यथा मो0 अली एवं उनके दो पुत्रो यथा मो0 मुर्त्तजा एवं मो0 मुश्ताक दिनांक 3.6.2021 को गिरफ्तारी एवं हाजत मे जानलेवा पिटाई करने के विरूद्ध उचित जाँच करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1.उक्त प्रसंगाधीन श्री पुरूषोत्तम कुमार, (एस.एच.ओ.) प्रभारी झंझारपुर आर.एस. (ओ.पी.) द्वारा दर्ज कांड सं0 85/21 दिनांक 5.5.2021 में तीनों आरोपितो को गिरफ्तार कर अमानवीय ढ़ंग से लगातार पिटाई करते हुए अधमरा बनाकर हाजत में बंद रखना आदेशित प्रावधानों की अवमानना है जैसा कि संलग्न फोटोग्राफ की छायाप्रति से स्पष्ट पता चलता है, साथ ही बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 1193/वि0को0 दिनांक 28.5.2021 के स्पष्ट आदेश की भी अवहेलना है।

2.विषयांकित न्यायादेश के आलोक में प्रासंगिक आदेश द्वारा सात वर्षों या सात वर्षों से कम कारावास के मामलों में सीधे गिरफ्तारी की आवश्यकता के विषय में पुलिस अधिकारी संतुष्ट होने के पश्चात सम्बंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने को आदेशित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश में एक चेक लिस्ट भी संलग्नित है जिसे प्रत्येक अभियुक्त संबंधित तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों में कम से कम एक एवं अतारांकित प्रश्नों को तीन प्रश्नों के उत्तर हाँ होने की स्थिति में ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी बिना वारंट के लिये जाने की अनुमति दी गयी, परन्तु सम्बंधित पुलिस अधिकारी श्री पुरूषोत्तम कुमार, थाना अध्यक्ष, लखनौर, प्रभारी आर.एस. ओ.पी. झंझारपुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना एवं पुलिस मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना है।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in

3.प्रासंगिक प्राथमिकी (प्रतिलिपि संलग्न) से स्पष्ट है कि अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धाराओं के अन्तर्गत सात वर्ष अथवा सात वर्षों से कम के कारावास का प्रावधान है।

4.निर्गत विषयांकित आदेश के संग संलग्नित चेक लिस्ट में उक्त प्रावधान के अन्तर्गत तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की सूची दी गयी एवं यह आदेश दिया गया है कि चेक लिस्ट का संधारण एवं मूल्यांकन अलग–अलग अभियुक्तों के लिए अलग–अलग होना है क्योंकि एक ही कांड अलग–अलग अभियुक्तों की परिस्थितियाँ तत्सम्बंधित सामग्री अलग हो सकती है।

5.ऊपर उल्लेखित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के पूर्व आदेश के आलोक में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों का चेक लिस्ट बिना तैयार किये हुए एवं उक्त प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हुए बिना ऊपर उल्लेखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह इस बात से परिलक्षित है कि उक्त चेक लिस्ट में दिये तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों में (उल्लेखित परिस्थितियों) का उत्तर 'हाँ' होने के पश्चात् ही बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का आदेश है यथा पूर्व में आपराधिक कांड, सटीक उद्भेदन हेतु कस्टेडियल इंटेरोगेशन, पहचान परेड इत्यादि। प्राथमिकी के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ऊपर उल्लेखित प्रासंगिक कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के पूर्व सम्बंधित पुलिस अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निर्गत विषयांकित आदेश की अवहेलना करते हुए श्री पुरूषोत्तम कुमार, थाना अध्यक्ष, प्रभारी झंझारपुर आर.एस. (ओ.पी.) द्वारा प्रासंगिक कांड में आरोपित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि उक्त निर्देशों का अनुसरण करने में असफल रहने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ–साथ न्यायालय की अवमानना के लिये दंड के भी भागी होंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों की सम्यक जाँच कराने एवं समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा) 7.6.21

संलग्न–यथोक्त।